

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिभाष)

सचिका संख्या - 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(दस्तावेज सत्यापन)-28/2021(खंड-1) 5/57

पटना, दिनांक :- 21.06.23

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या - 01/2019 के आलोक में निम्नांकित विशेष सर्वेक्षण अमीनों का नियोजन अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :-

क्र०	पत्रांक दिनांक	आई0डी0 संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई-मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन
1	10169 06.07.2020	AEN00470	श्री अभिनव आनन्द	श्री तनुकलाल प्रसाद सिंह	किशनगंज	7 AT-BANGALIA,P.O- ROHIYAR,P.S-MANSI,DISTT- KHAGARIA,STATE-BIHAR	8 abhinavanand677@gmail.com	9 OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATION, ANNA UNIVERSITY, CHENNAI	10 Letter no. 5182/COE/C27/ 2023 Dated 05-03-2023	11 There is no such course "B.Tech/ Diploma Engineering" is offered by this University
2	10533 24.08.2020	AEN02056	श्री निखिल कुमार	श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह	किशनगंज	7 AT-PASRAHA,PO-PASRAHA, PS-PASRAHA,DIST-KHAGARIA	8 nikilsingh08@gmail.com			

उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिलोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। स्तम्भ संख्या - 10 में अंकित पत्रांक/दिनांक द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। स्तम्भ संख्या - 11 में विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त संविदा कर्मियों से फर्जी "डिलोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संबंधित कर्मियों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त विश्वविद्यालय से डिलोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने एवं पुनः सत्यापन कराये जाने के सिवा कोई विशिष्ट तथ्य/साध्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता हो। अतः विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त संविदा कर्मियों गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका - 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त संविदा कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिभाष

पटना, दिनांक - 21.06.23

ज्ञापक - 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(दस्तावेज सत्यापन)-28/2021(खंड-1) 5/57

प्रतिलिपि :- उपरोक्त सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिभाष

ज्ञापक - 01/भू030नि0(3)वि0सर्व0अमीन(दस्तावेज सत्यापन)-28/2021 (खंड-1).....5/57

पटना, दिनांक - 21.06.23

प्रतिनिधि :- समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :-

1. उपरोक्त सविदा कर्मियों को प्रभारित सभी कागजात/दस्तावेज/सामग्री अविलंब प्राप्त कर ली जाय।
2. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित उपरोक्त सविदा कर्मियों से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।
3. उपरोक्त सविदा कर्मियों पर फर्जी कागजातों पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निदेशक एवं प्रभारित
भू-अभिलेख एवं करिगण

ज्ञापक - 01/भू030नि0(3)वि0सर्व0अमीन(दस्तावेज सत्यापन)-28/2021 (खंड-1).....5/57

पटना, दिनांक - 21.06.23

प्रतिनिधि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक एवं प्रभारित
भू-अभिलेख एवं करिगण